

पुत्र,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा ब्लॉक 2 समुदाय ब्लॉक,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 17 अगस्त, 1995

विषय:- गुलानाथ इंस्टीट्यूट ऑफ़ शिक्षा वाराणसी को सी०बी०एन०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुदानित प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कले का निदेश हुआ है कि गुलानाथ इंस्टीट्यूट ऑफ़ शिक्षा वाराणसी को सी०बी०एन०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 11) विद्यालय को प्रयोगशालाओं का सम्यक् समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13) विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभा तन्त्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14) सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैयक्तिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोशिका फार दि इंस्टीट्यूट ऑफ़ शिक्षा वाराणसी नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो यह परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 15) सेवा के लिए सर्व शिक्षित कर्मचारियों को राश्रीय सहायता प्राप्त शिक्षण कर्मचारियों के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16) कर्मचारियों की सेवा ज्यों बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशातकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा निर्धारित का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तंत्रवा उनका पालन करेगी ।

181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/संकेतों में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों/ में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि सम्बन्धित विद्ये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्ये लव में वर्तमान में कार्यरत समस्त स्टाफ प्रशिक्षित तथा उर्ध्व है । वेतन मानकानुस्य दिया जा रहा है तथा उक्त भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है । विद्यालय में ईपीएसओ योजना समस्त कर्मचारियों के लिए लागू है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तंत्रवा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तंत्रवा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उदरत आश्रित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

।अजीत गाँगी।
उप सचिव ।

पुं० 111/15-7-1995 तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुझाव रखे आवाचक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- केंद्रीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।
- 4- निरीक्षक, अंश भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबन्धक, कुलनायक ईश्वर सिंह, वाराणसी ।

आशा है,

Signature

।अजीत गाँगी।
उप सचिव ।